रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 399] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2015/ज्येष्ठ 28, 1937
No. 399] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2015/JYAISTHA 28, 1937

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2015

सा.का.नि. 502(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय शिक्षुता परिषद् के साथ परामर्श से, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षुता नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शिक्षुता नियम, 1992 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में, –

(i) खंड (2) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

'(2क) "गैर-इंजीनियरी में डिप्लोमा" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो यथास्थिति बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय अथवा संबंधित राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा गैर-इंजीनियरी में प्रदान किया गया डिप्लोमा या समतुल्य अर्हता रखता है।

(ii) खंड (5) के उपरांत, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

'(5क) "गैर-इंजीनियरी स्नातक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी सांविधिक विश्वविद्यालय अथवा संसद के किसी अधिनियम द्वारा ऐसी डिग्री प्रदान करने हेतु किसी अधिकार प्राप्त संस्थान से इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी के सिवाय किसी विषय में डिग्री रखता हो अथवा जिसने केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त वृतिक निकायों की स्नातक परीक्षा समतुल्य डिग्री उत्तीर्ण की हो;

(5ख) "वैकल्पिक व्यवसाय शिक्षु" से ऐसा शिक्षु अभिप्रेत है जो किसी अभिहित व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण नहीं ले रहा है।

3. मूल नियमों में, नियम 5 को उप-नियम (1) के रूप में सांख्यांकित किया जाएगा तथा इस प्रकार सांख्यांकित उप-नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थातः-

"2. अभिहित व्यवसायों में अन्य पिछड़े वर्गों हेतु प्रशिक्षण स्थान नियोक्ता द्वारा संबंधित राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र में निर्धारित मानकों के अनुसार आरक्षित किए जाएंगे तथा यदि प्रशिक्षण स्थान अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा नहीं भरे जा सकते हैं, तो इस प्रकार से खाली प्रशिक्षण स्थान अन्य पिछड़े वर्गों से संबंध न रखने वाले व्यक्तियों द्वारा भरे जा सकते हैं।"

4 मूल नियमों के, नियम 6 में, –

(i) उप- नियम (1) का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-नियम (2) को इस प्रकार उप-नियम (1) के रूप में पुनः सांख्यांकित किया तथा इस प्रकार से पुनः सांख्यांकित उप-नियम (1) में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातः-

"(क) केंद्रीय सरकार सभी शिक्षुओं हेतु आदर्श संविदा प्ररूप विनिर्दिष्ट कर सकेगी।"

(iii) उप-नियम (3) को इस प्रकार उप-नियम (2) के रूप में पुनः सांख्यांकित किया जाएगा।

5 मूल नियमों के, नियम 7 में उप-नियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थातः-

"3क (1) व्यवसाय शिक्षु द्वारा वांछित, संचालन अथवा कार्यकरण अथवा नम्यता में सामयिकता को ध्यान में रखते हुए, कोई व्यवसाय शिक्षु अपनी शिक्षुता प्रशिक्षण अवधि के पांच वर्षों के भीतर अथवा शिक्षुता प्रशिक्षण की दोगुनी अवधि, जो भी कम हो, अपने शिक्षुता प्रशिक्षण के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्ण कर सकेगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नम्यता उप-नियम (1) में निम्नलिखित ढंग से अनुज्ञेय होगी, अर्थातः-

(क) दो वर्ष अथवा दो वर्ष से कम की अवधि वाले व्यवसायों हेतु अधिकतम एक विराम।

(ख) दो वर्ष से अधिक वाले व्यवसायों हेतु अधिकतम दो विराम।

(3) उसकी शिक्षुता प्रशिक्षण की प्रारंभ एवं समापन तारीख नियोक्ता द्वारा पोर्टल साइट पर सूचित की जाएगी।"

6. मूल नियमों में, नियम 7 में, उप-नियम (5) का लोप किया जाएगा।

7. मूल नियमों में, नियम 7 के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः-

"7क वैकल्पिक व्यवसाय का विनियमन-

1. कोई व्यक्ति तब तक किसी वैकल्पिक व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण लेने के लिए एक शिक्षु के रूप में कार्य पर लगाए जाने हेतु पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह-

(क) चौदह वर्ष से कम आयु का न हो, तथा परिसंकटमय उद्योगों से संबंधित वैकल्पिक व्यवसायों हेतु अट्ठारह वर्ष से कम आयु का न हो;

(ख) ऐसी शारीरिक स्वस्थ्यता पूर्ण न करता हो जैसी कि नियोक्ता द्वारा अवधारित की जाए।

(2) वैकल्पिक व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण लेने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता किसी मान्यताप्राप्त स्कूल से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होगी।

(3) गैर-इंजीनियरी स्नातकों, गैर-इंजीनियरी में डिप्लोमा तथा व्यावसायिक प्रमाणपत्रधारी की अवस्था में शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि अधिकतम एक वर्ष होगी तथा वैकल्पिक व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण ले रहे अन्य शिक्षुओं हेतु शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम छह माह और अधिकतम दो वर्ष होगी।

(4) नियोक्ता द्वारा प्रत्येक वैकल्पिक व्यवसाय में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु प्रशिक्षण स्थान नियम 5 के उप-नियम (1) तथा उक्त नियम की अनुसूची- ।।क के अनुसरण में प्रशिक्षण स्थान आरक्षित किए जाएंगे।

(5) नियोक्ता द्वारा प्रत्येक वैकल्पिक व्यवसाय में अन्य पिछड़े वर्गों हेतु प्रशिक्षण स्थान नियम 5 के उप-नियम (2) के अनुसरण में आरक्षित किए जाएंगे।

(6) नियोक्ता के लिए वैकल्पिक व्यवसायों की अवधि तथा पाठ्यचर्या पोर्टल-साइट पर प्रकट करना बाध्यकर होगा।

(7) प्रत्येक शिक्षु द्वारा अनुसूची-।।। में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप-2 में कार्य डायरी अनुरक्षित की जाएगी तथा सप्ताह में एक बार उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जाएगी।

(8) नियम 12 के उप-नियम (3) में प्रदान किए गए सप्ताह के कार्य घंटे उन शिक्षुओं के लिए लागू होंगे जिनके पास माध्यमिक अथवा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के उपरांत तीन अथवा चार वर्ष की डिग्री हो अथवा 10वीं कक्षा के उपरांत तीन वर्ष का डिप्लोमा हो अथवा 12वीं कक्षा के उपरांत दो वर्ष का डिप्लोमा हो अथवा स्कूली शिक्षा की उच्चतर अवस्था पूर्ण करने के उपरांत दो वर्ष के अध्ययन को शामिल करते हुए व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रमाणपत्र हो एवं वैकल्पिक व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण ले रहा हो तथा शिक्षुता प्रशिक्षण ले रहे सभी अन्य शिक्षुओं हेतु, नियम 12 के उप-नियम (1) तथा (2) में उपबंधित सप्ताह के कार्य घंटे लागू होंगे।

(9) किसी व्यक्ति को वैकल्पिक व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण लेने के लिए एक शिक्षु के रूप में तब तक कार्य पर नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने अथवा, यदि वह अवयस्क है, तो उसके अभिभावक ने नियोक्ता के साथ शिक्षुता संविदा न की हो तथा ऐसी शिक्षुता संविदा नियोक्ता द्वारा पोर्टल साइट पर डाली जाएगी।

(10) स्नातक शिक्षुओं हेतु निर्धारित वृत्तिका की न्यूनतम दरों का नियोक्ता द्वारा उन शिक्षुओं को भुगतान किया जाएगा जिनके पास 10+2 शिक्षा प्रणाली के उपरांत न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि की डिग्री हो।

(11) तकनीशियन शिक्षुओं हेतु निर्धारित वृत्तिका की न्यूनतम दरों का भुगतान नियोक्ता द्वारा उन शिक्षुओं को किया जाएगा जिनके पास 10वीं कक्षा के उपरांत तीन वर्ष का डिप्लोमा हो अथवा 12वीं कक्षा के उपरांत दो वर्ष का डिप्लोमा हो।

(12) तकनीशियन (व्यावसायिक) हेतु निर्धारित वृत्तिका की न्यूनतम दरों का भुगतान नियोक्ता द्वारा उन शिक्षुओं को किया जाएगा, जिनके पास स्कूली शिक्षा का माध्यमिक स्तर पूर्ण करने के उपरांत दो वर्ष का अध्ययन शामिल करते हुए व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रमाणपत्र हो।

(13) व्यवसाय शिक्षुओं हेतु निर्धारित वृत्तिका की न्यूनतम दरों का भुगतान नियोक्ता द्वारा वैकल्पिक व्यवसाय में प्रशिक्षण ले रहे अन्य शिक्षुओं को उनकी शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि के अनुसार किया जाएगा।

(14) न्यूनतम तीन वर्ष की डिग्री अथवा 10वीं कक्षा के उपरांत तीन वर्ष का डिप्लोमा अथवा 12वीं उत्तीर्ण के उपरांत दो वर्ष का डिप्लोमा अथवा स्कूली शिक्षा का उच्चतर स्तर पूर्ण कर लेने के उपरांत दो वर्ष के अध्ययन को शामिल करते हुए व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रमाणपत्र तथा वैकल्पिक व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण ले रहा प्रत्येक शिक्षु अनुसूची-VI में स्नातक, तकनीशियन तथा तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षुओं हेतु यथाप्रदत्त शिक्षुता संविदा की निबंधन एवं शर्तों का पालन करेगा।

(15) प्रत्येक नियोक्ता तथा वैकल्पिक व्यवसाय में प्रशिक्षण ले रहे अन्य शिक्षुओं पर क्रमशः अनुसूची- V में यथाप्रदत्त बाध्यताएं होंगी।

(16) नियोक्ता किसी ऐसे व्यवसाय को वैकल्पिक व्यवसाय के रूप में नहीं चलाएगा जो अधिनियम के तहत अभिहित व्यवसाय हो।

(17) वैकल्पिक व्यवसाय में प्रत्येक शिक्षु के शिक्षुता प्रशिक्षण की प्रगति समय-समय पर नियोक्ता द्वारा मूल्यांकित की जाएगी तथा प्रत्येक शिक्षु जो नियोक्ता के समाधानप्रद रूप में अपना शिक्षुता प्रशिक्षण पूर्ण कर लेगा, उसे उस नियोक्ता द्वारा प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

7ख अभिहित एवं वैकल्पिक व्यवसाय हेतु शिक्षुओं की संख्या-

(1) केवल छह या इससे अधिक कामगार वाले नियोक्ता, शिक्षुओं को काम पर रखने के लिए पात्र होंगे तथा चालीस से कम कामगार वाले स्थापन शिक्षुओं को काम पर रखने के लिए बाध्य नहीं है।

(2) कामगारों की संख्या की गणना पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में औसत संख्या के आधार पर की जाएगी।

(3) एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक प्रतिष्ठान संविदात्मक कर्मचारियों सहित प्रतिष्ठान की कुल कर्मचारी संख्या के 2.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की सीमा में शिक्षुओं को काम पर रखेगा।

(4) किसी भी माह में शिक्षुओं की संख्या इस शर्त के अधीन स्थापन की कुल कर्मचारी संख्या के 2 प्रतिशत से कम एवं स्थापन की कुल कर्मचारी संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी कि वह किसी वित्तीय वर्ष में 2.5 प्रतिशत के अनुरूप शिक्षु महीनों की बाध्यता को पूरा करेगा।

(5) प्रत्येक नियोक्ता पोर्टल की साइट के साथ-साथ प्रतिष्ठान की पोर्टल साइट (यदि मौजूद हो) पर अभिहित एवं वैकल्पिक व्यवसाय- दोनों में शिक्षुओं को काम पर रखने की अपनी मंशा को नीचे दी गई तिमाहियों के अनुसार प्रकट करेगा:-

(क) 1 अप्रैल से 30 जून**;**

(ख) 1 जुलाई से 30 सितम्बर**;**

(ग) 1 अक्तूबर से 31 दिसम्बर**;**

(घ) 1 जनवरी से 31 मार्च**'.**

7ग स्थापन का निरीक्षण-

एक अधिकारी जो सहायक शिक्षुता सलाहकार पद से नीचे का न हो, एक स्थापन का निरीक्षण करेगा तथा ऐसा निरीक्षण यथास्थिति अनुसार केंद्रीय अथवा राज्य शिक्षुता सलाहकार के पूर्व अनुमोदन उपरांत ही किया जाएगा।

8. मूल नियमों के नियम 11 में उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"3. किसी विशेष मास हेतु वृत्तिका का भुगतान आगामी माह के दसवें दिवस तक किया जाएगा तथा वृत्तिका का भुगतान केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी तारीख से शिक्षुओं के बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा।"

9. मूल नियमों के नियम 13 और उससे संबधित प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।

10. मूल नियमों के नियम 14 में, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख से –

(क) उप-नियम (1), उप नियम (2) और उप-नियम (3) का लोप किया जाएगा;

(ख) उप नियम (6) का लोप किया जाएगा;

(ग) उप नियम (7), उप नियम (8), उप नियम (9) और उप नियम (10) का लोप किया जाएगा।

11. मूल नियमों में, अनुसूची-। में, स्तम्भ 4 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

12. मूल नियमों में, अनुसूची-।।क के स्थान पर निम्नलिखित अनूसूची रखी जाएगी, अर्थात: -

“अनुसूची-IIक

(नियम 5 देंखे)

क्र.सं.	राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	अभिहित व्यवसाय में कुल शिक्षुओं से अनुसूचित जाति के शिक्षुओं का अनुपात	अभिहित व्यवसाय में कुल शिक्षुओं से अनुसूचित जनजाति के शिक्षुओं का अनुपात
1.	आंध्र प्रदेश	1:7	1:15
2.	अरुणाचल प्रदेश	---	1:2
3.	असम	1:15	1:9
4.	बिहार	1:7	1:100
5.	छत्तीसगढ़	1:9	1:4
6.	गुजरात	1:15	1:7
7.	गोवा	1:50	1:8
8.	हरियाणा	1:5	---
9.	हिमाचल प्रदेश	1:4	1:25
10.	जम्मू एवं कश्मीर	1:12	1:9
11.	झारखंड	1:9	1:4
12.	कर्नाटक	1:7	1:15
13.	केरल	1:10	1:100
14.	मध्य प्रदेश	1:7	1:5
15.	महाराष्ट्र	1:10	1:11
16.	मणिपुर	1:33	1:3
17.	मिजोरम	---	1:2
18.	मेघालय	---	1:2
19.	नागालैंड	---	1:2
20.	ओडिशा	1:7	1:4
21.	पंजाब	1:4	---
22.	राजस्थान	1:6	1:8
23.	सिक्किम	1:20	1:5
24.	तमिलनाडु	1:5	1:100
25.	त्रिपुरा	1:6	1:3
26.	तेलंगाना	1:16	1:32
27.	उत्तर प्रदेश	1:5	1:100
28.	उत्तराखंड	1:6	1:3
29.	पश्चिम बंगाल	1:5	1:20
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	---	1:13
31.	चंडीगढ	1:6	---
32.	दादर एवं नगर हवेली	1:50	1:2
33.	दिल्ली	1:6	1:13
34.	दमन एवं दीव	1:3	1:11
35.	लक्षद्वीप	---	1:2
36.	पुडुचेरी	1:7	---“.

13. मूल नियमों में, अनुसूची-।।। में, प्ररूप-1 एवं प्ररूप-2 के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात:-

"अनुसूची–III

(नियम 14 देंखे)

प्ररूप-1

वयस्क/अवयस्क* शिक्षुओं हेतु आदर्श शिक्षुता प्रशिक्षण संविदा

शिक्षु का फोटो

1. स्थापन का नाम तथा पता : ____________________

दूरभाष नं., फैक्स नं. एवं ई-मेल पते के साथ ____________________

____

2. (क) शिक्षु का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : ____________________

(ख) पिता/माता/पति का नाम : ____________________

3. शिक्षु का पता : ____________________

____

4. लिंग (कृपया √ का निशान लगाएं) : पुरुष/स्त्री/ट्रांसजेंडर

5. जन्मतिथि : ____________________

6 (क) क्या अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./पीडब्ल्यूडी/अल्पसंख्यक से संबंधित हैं (कृपया √ का निशान लगाएं) : हाँ/नहीं

ख) श्रेणी का नाम : ____________________

7. शैक्षिक अर्हता

(क) शैक्षणिक अर्हता : ____________________

(ख) तकनीकी अर्हता :

(i) व्यवसाय अथवा पाठ्यक्रम का नाम : ____________________

(ii) प्रशिक्षण अथवा पाठ्यक्रम की अवधि : ______ से _______ तक

(iii) संस्थान अथवा कॉलेज का नाम : ____________________

(iv) परिषद् अथवा विश्वविद्यालय का नाम :____________________

8. (क)संविदा-निष्पादन की तारीख : ____________________

(ख) संविदा-निष्पादन की तारीख के समय आयु : ____________________

9. उस व्यवसाय का नाम जिसके लिए शिक्षु, शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु है : ____________________

10. (क) शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि : ____ वर्ष _____माह

(ख) शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि : _____ से _______ तक

11. वृत्तिका की दरें: शिक्षु को नियोक्ता द्वारा प्रति मास भुगतान की जाने वाली निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका

(क) प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष के दौरान :__________________ रुपए

(ख) प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष के दौरान :__________________ रुपए

(ग) प्रशिक्षण के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के दौरान :__________________ रुपए

12. (क) अभिभावक का नाम एवं पता : ______________________

(यदि शिक्षु अवयस्क हो)

(ख) शिक्षु के साथ संबंध : ______________________

13. जमानती का नाम एवं पता : ______________________

____

14. हम, नियोक्ता, शिक्षु अथवा अभिभावक** तथा जमानती सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करते हैं कि हमने बाध्यताओं सहित शिक्षुता प्रशिक्षण की संविदा से संबंधित शिक्षु अधिनियम, 1961 तथा शिक्षुता नियम, 1992 को पढ़ा है तथा इसके अंतर्गत किए गए सभी उपबंधों का पालन करने के लिए सहमत हैं। नियोक्ता या शिक्षु में से किसी के भी द्वारा व्यतिक्रम होने के मामले में, हम शिक्षुता नियम, 1992 के उपबंधों के अनुसार अन्य पक्ष की क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत* हैं। (नियमों के प्रमुख उपबंध अनुलग्नक में देखे जा सकते हैं)

____________	____________	__________________	____________
मोहर सहित नियोक्ता के हस्ताक्षर	शिक्षु के हस्ताक्षर	अभिभावक** के हस्ताक्षर	जमानती के हस्ताक्षर

15. साक्षियों के नाम उनके पते के साथ

(1) ________________________________

(2) ________________________________

***16. संविदा पंजीकरण संख्या : _____________________

(शिक्षुता सलाहकार के कार्यालय द्वारा दिया जाएगा)

* अवयस्क शिक्षु एक ऐसा शिक्षु है जिसने अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

** अभिभावक अवयस्क शिक्षुओं के मामले में

*** केवल अभिहित व्यवसायों के लिए अनिवार्य

शिक्षुता प्रशिक्षण के अनुबंध के अनुलग्नक

शिक्षुता प्रशिक्षण के अनुबंध से संबंधित शिक्षुता नियम के मुख्य उपबंध निम्नलिखित हैं -

1. नियोक्ता, न्यूनतम दरों पर व्यवसाय शिक्षुओं को प्रतिमाह वृत्तिका का भुगतान करेगा (शिक्षुता नियम, 1992 के नियम 11 के उप-नियम (1) के उपबंध के अनुसार)

(क)	प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष के दौरान	:	संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित अर्ध-कुशल कामगारों के न्यूनतम वेतन का सत्तर प्रतिशत
(ख)	प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान	:	संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित अर्ध-कुशल कामगारों के न्यूनतम वेतन का अस्सी प्रतिशत
(ग)	प्रशिक्षण के तीसरे एवं चौथे वर्ष के दौरान	:	प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित अर्ध-कुशल कामगारों के न्यूनतम वेतन का नब्बे प्रतिशत

परंतु किसी ऐसे मामले में जहां राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किसी व्यवसाय हेतु वेतन की न्यूनतम दर अधिसूचित नहीं है, तो अर्ध-कुशल कामगारों हेतु ऐसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसूचित रोजगार के न्यूनतम वेतन का अधिकतम उस व्यवसाय के लिए वृत्तिका के भुगतान हेतु ध्यान में रखा जाएगा।

परंतु यह भी की कि अधिनियम की धारा 6 के खंड (क) में उल्लिखित व्यवसाय शिक्षुओं के मामले में राष्ट्रीय परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी स्कूल या अन्य संस्थान में उनके द्वारा पहले प्राप्त किए गए प्रशिक्षण की अवधि को देय वृत्तिका की दर निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ ध्यान में रखा जाएगा।"

2. नियोक्ता स्नातक, तकनीशियन एवं तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षुओं को प्रति माह वृत्तिका का न्यूनतम दरों पर भुगतान करेगा। (शिक्षुता नियम, 1992 के नियम 11 के उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार)

(क)	स्नातक शिक्ष	: 4984 रुपए
(ख)	सेंडविच पाठ्यक्रम (डिग्री संस्थानों से विद्यार्थी)	: 3542 रुपए
(ग)	तकनीशियन शिक्षु	: 3542 रुपए
(घ)	सेंडविच पाठ्यक्रम (डिप्लोमा संस्थानों से विद्यार्थी)	: 2890 रुपए
(ङ)	तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षु	: 2758 रुपए

3. स्नातक शिक्षुओं हेतु निर्धारित वृत्तिका नियोक्ता द्वारा उन शिक्षुओं को भुगतान की जाएगी जो 10+2 शिक्षा प्रणाली के पश्चात न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के डिग्री धारक हों और वैकल्पिक व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण पा रहे हों।

4. तकनीशियन शिक्षुओं हेतु निर्धारित वृत्तिका नियोक्ता द्वारा उन शिक्षुओं को भुगतान की जाएगी जो 10वीं कक्षा के पश्चात न्यूनतम तीन वर्षो के डिप्लोमा या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात दो वर्षों के डिप्लोमा धारक हों और वैकल्पिक व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण पा रहे हों।

5. तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षुओं हेतु निर्धारित वृत्तिका नियोक्ता द्वारा उन शिक्षुओं को भुगतान की जाएगी जो स्कूली शिक्षा के माध्यमिक स्तर के पूरा होने के पश्चात अध्ययन के दो वर्षों वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रमाण-पत्र धारक हों और वैकल्पिक व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण पा रहे हों।

6. नियोक्ता द्वारा व्यवसाय शिक्षुओं हेतु निर्धारित वृत्तिका ऐसे सभी अन्य शिक्षुओं को भुगतान की जाएगी जो शिक्षुता प्रशिक्षण की अपनी अवधि के अनुसार वैकल्पिक व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण पा रहे हों।

7. किसी विशेष माह हेतु वृत्तिका आगामी माह के दसवें दिन अदा की जाएगी। स्थापन में पाए अनुसार ऐसी अवधि जिसके दौरान कोई शिक्षु अवकाश पर रहता है, हेतु वृत्तिका में से कोई कटौती नहीं की जाएगी।

8. उस स्थिति में जब अनुबंध के निबंधनों एवं शर्तों के अनुपालन करने में नियोक्ता द्वारा व्यतिक्रम होने पर शिक्षुता संबंधी अनुबंध समाप्त हो जाता है। (शिक्षुता नियम, 1992 के अंतर्गत यथा अधिसूचित), तब उसे शिक्षु को इस प्रकार प्रतिपूर्ति करनी होगी जैसी केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

9. अनुबंध की निबधनों एवं शर्तों का अनुपालन करने में शिक्षु की ओर से व्यतिक्रम हेतु शिक्षुता अनुबंध की समय पूर्व समाप्ति पर (शिक्षुता नियम, 1992 के अंतर्गत यथाअधिसूचित) शिक्षु के अनुरोध पर जमानती, नियोक्ता को ऐसी राशि का भुगतान करने की गारंटी देता है जैसी कि प्रशिक्षण की लागत के रूप में और इसके बतौर शिक्षुता सलाहकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

10. जमानती का दायित्व बारह प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज सहित दो हजार पांच सौ रुपए की रकम तक सीमित है।

प्ररूप-2

कार्य डायरी का प्रोफार्मा

स्थापन का नाम एवं पता :

शिक्षु का नाम :

व्यवसाय :

पंजीकरण संख्या :

क्रम संख्या	तारीख (सप्ताह)		सप्ताह के दौरान कवर की सक्षमताएं	पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
	से	तक		

टिप्पणी: व्यवसाय के पाठ्यक्रम में यथानिर्धारित दर्शायी जाने वाली सक्षमताओं की सूची।

शिक्षु द्वारा कार्य डायरी का रखरखाव किया जाएगा और सप्ताह में एक बार उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे।"

14. अनुसूची-V में मुख्य नियम के अंतर्गत –

(i) नियोक्ता के दायित्वों से संबंधी अनुच्छेद 1 के अंतर्गत मद 2ख, 3 और 7 तथा इनसे संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ii) मद 10 और इनसे संबंधी प्रविष्टियों हेतु 'व्यवसाय शिक्षुओं के दायित्व' से संबंधी अनुच्छेद-।। के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिस्थापित करना होगा :-

"10. नियोक्ता की ओर से उसके स्थापन में शिक्षु को उसकी शिक्षुता प्रशिक्षण अवधि के पूरा होने पर कोई नियोजन प्रदान करना बाध्यकर नहीं होगा और न ही शिक्षु की ओर से नियोक्ता के अंतर्गत कोई नियोजन स्वीकार करना बाध्यकारी होगा। तथापि, यदि कोई भर्ती होती है तो नियोक्ता ऐसे किसी भी शिक्षु को भर्ती करने हेतु अपनी स्वयं की नीति निष्पादित करेगा जिसने अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) के अनुसार उसके स्थापन में शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि पूरी कर ली है";

15. मूल नियमों में, अनुसूची-VI, में –

(क) मद 2 और इससे संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः, :-

"2. नियोक्ता की ओर से उसके स्थापन में शिक्षु को उसकी शिक्षुता प्रशिक्षण अवधि के पूरा होने पर कोई नियोजन प्रदान करना बाध्यकार नहीं होगा और न ही शिक्षु की ओर से नियोक्ता के अधीन कोई नियोजन स्वीकार करना

बाध्यकारी होगा। तथापि, यदि कोई भर्ती होती है तो नियोक्ता ऐसे किसी भी शिक्षु को भर्ती करने हेतु अपनी स्वयं की नीति निष्पादित करेगा जिसने अधिनियम की धारा (22) की उप-धारा (1) के अनुसार उसके स्थापन में शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि पूरी कर ली है";

(ख) मद 6(i) और इससे संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

"6(i) एक स्नातक तक, तकनीशियन और तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षु उस स्थापन में विभाग के कार्य के सामान्य घंटों के अनुसार कार्य करेगा जिसके साथ वह प्रशिक्षण हेतु संलग्न है" ।

[सं. एमएसडीएंडई-1(2)/2015-एपी]

राजेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम तारीख 15 जुलाई, 1992 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 356 द्वारा तारीख 01 अगस्त, 1992 भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तारीख 23 दिसम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 910(अ) द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2015

G.S.R. 502(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council, hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely: —

1.(1) These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 2015.

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Apprenticeship Rules, 1992 (hereinafter referred to as principal rules), in rule 2, –

(i) after clause (2), the following clause shall be inserted, namely:-

'(2A) "Diploma in non-engineering" means a person who holds a diploma in non-engineering or equivalent qualification granted by a Board or University or recognised by the concerned State Government or the Central Government, as the case may be;';

(ii) after clause (5), the following clauses shall be inserted, namely:-

'(5A) "Non-engineering graduate" means a person who holds a degree in any subject other than engineering or technology granted by a statutory University or an institution empowered to grant such degree by an Act of Parliament or passed the graduateship examination of professional bodies recognised by the Central Government as equivalent degree;

(5B) "Optional trade apprentice" means an apprentice who is not undergoing apprenticeship training in a designated trade.'.

3. In the principal rules, rule 5 shall be numbered as sub-rule(1) thereof and after sub-rule(1) as so numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"2. The training places for the Other Backward Classes in designated trades shall be reserved by the employer according to the prescribed norms followed in the respective State or Union territory and if training places can not be filled from the Other Backward Classes, then the training places so lying unfilled may be filled by persons not belonging to the Other Backward Classes.".

4 In the principal rules, in rule 6, –

(i) Sub-rule(1) shall be omitted;

(ii) Sub-rule(2) shall be renumbered as sub-rule(1) thereof and in the sub-rule (1) as so renumbered, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) The Central Government may specify model contract form for all apprentices.".

(iii) Sub-rule(3) shall be renumbered as sub-rule(2) thereof.

5 In the principal rules, in rule 7, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"3A(1) Keeping in view seasonality in operation or business or flexibility desired by trade apprentice, a trade apprentice may complete his period of apprenticeship training within five years or double the duration of apprenticeship training whichever is less from the date of starting of his apprenticeship training.

(2) The flexibility referred to in sub-rule(1) shall be permissible in the following manner, namely:-

(a) Maximum one break for trades having duration two years or less than two years

(b) Maximum two breaks for trades having duration more than two years.

(4) The start and end date of his apprenticeship training shall be reported on portal-site by the employer.".

6. In the principal rules, in rule 7, sub-rule (5) shall be omitted.

7. In the principal rules, after rule 7, the following rules shall be inserted, namely:-

"**7A Regulation of optional trade.-**

(1) A person shall not be qualified for being engaged as an apprentice to undergo apprenticeship training in any optional trade, unless he-

(a) is not less than fourteen years of age, and for optional trades related to hazardous industries, not less than eighteen years of age; and

(b) satisfies such physical fitness as determined by the employer.

(2) The minimum educational qualification for person to undergo apprenticeship training in optional trade shall be eighth class pass from a recognised school.

(3) The period of apprenticeship training in the case of non-engineering graduates, diploma in non-engineering and vocational certificate holder shall be maximum one year and the period of apprenticeship training for other apprentices undergoing apprenticeship training in optional trade shall be minimum of six months and maximum of two years.

(4) The training places shall be reserved by the employer for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in every optional trade in accordance with the sub-rule (1) of rule 5 and Schedule-IIA of said rule.

(5) The training places for the Other Backward Classes shall be reserved by the employer in every optional trade in accordance to the sub-rule (2) of rule 5.

(6) It shall be obligatory on the part of employer to disclose the duration and syllabi of the optional trades on the portal-site.

(7) The work diary in Format-2 as specified in Schedule-III shall be maintained by each apprentice and countersigned by his supervisor once in a week.

(8) Weekly hours of work provided in sub-rule (3) of rule 12 shall be applicable for those apprentices possessing a degree of three or four years after secondary or higher secondary education or diploma of three years after 10th class or diploma of two years after 12th pass or a certificate in vocational course involving two years of study after completion of secondary stage of school education and undergoing apprenticeship training in optional trade and for all other apprentices undergoing apprenticeship training in optional trade, the weekly hours of work provided in sub-rule (1) and (2) of rule 12 shall be applicable.

(9) No person shall be engaged as an apprentice to undergo apprenticeship training in optional trade unless such person or, if he is minor, his guardian has entered into a contract of apprenticeship with the employer and such contract of apprenticeship shall be uploaded on portal-site by the employer.

(10) The minimum rates of stipend prescribed for graduate apprentices shall be paid by the employer to those apprentices who possess a degree of minimum three years duration after 10+2 system of education.

(11) The minimum rates of stipend prescribed for technician apprentices shall be paid by the employer to those apprentices who possess a diploma of three years after 10^{th} class or diploma of two years after 12^{th} pass.

(12) The minimum rates of stipend prescribed for technician (vocational) apprentices shall be paid by the employer to those apprentices who possess a certificate in vocational course involving two years of study after completion of secondary stage of school education.

(13) The minimum rates of stipend prescribed for trade apprentices shall be paid by the employer to other apprentices undergoing training in optional trade according to their period of apprenticeship training.

(14) Every apprentice possessing a degree of minimum three years or a diploma of three years after 10^{th} class or diploma of two years after 12^{th} pass or a certificate in vocational course involving two years of study after completion of secondary stage of school education and undergoing apprenticeship training in optional trade shall follow the terms and conditions of contract of apprenticeship for graduate, technician and technician(vocational) apprentices as provided in Schedule-VI.

(15) Every employer and other apprentices undergoing training in optional trade shall have the obligations as provided in Schedule-V respectively.

(16) The employer shall not run a trade as optional which is a designated trade under the Act.

(17) The progress in apprenticeship training of every apprentice in optional trade shall be assessed by the employer from time to time and every apprentice who completes his apprenticeship training to the satisfaction of the employer shall be granted a certificate of proficiency by that employer.

7B Number of apprentices for designated and optional trade.-

(1) The employers having six or more workers shall only be eligible to engage apprentices and engagement of apprentices by establishment having number of workers not exceeding forty shall not be obligatory.

(2) The strength of workers shall be calculated on the basis of average strength in the preceding financial year.

(3) Within a financial year, each establishment shall engage apprentices in a band of 2.5 per cent. to 10 per cent. of the total strength of the establishment including contractual staff.

(4) In no month, number of apprentices should be less than 2 per cent. of the total strength of the establishment and more than 15 per cent. of the total strength of the establishment subject to the condition that he shall fulfill apprentice months corresponding to 2.5 per cent. obligation in a financial year.

(5) Every employer shall disclose their intention of engagement of apprentices both in designated and optional trade on portal site as well as establishment's portal-site (if existing) as per quarters given below:-

(a) the 1^{st} April to the 30^{th} June;

(b) the 1^{st} July to the 30^{th} September;

(c) the 1^{st} October to the 31^{st} December;

(d) the 1^{st} January to the 31^{st} March.'.

7C Inspection of establishment.-

An Officer not below the rank of Assistant Apprenticeship Adviser shall inspect an establishment and such inspection shall be after prior approval of the Central or the State Apprenticeship Adviser, as the case may be.".

8. In rule 11 of the principal rules, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"3. The stipend for a particular month shall be paid by the tenth day of the following month and the stipend shall be paid through the bank account of apprentices from a date notified by the Central Government."

9. In the principal rules, rule 13 and the entries relating thereto shall be omitted.

10. In rule 14 of the principal rules, with effect from such date as may be notified by the Central Government, –

(a) Sub-rule(1), sub-rule(2) and sub-rule(3) shall be omitted;

(b) Sub-rule(6) shall be omitted;

(c) Sub-rule(7), sub-rule (8), sub-rule(9) and sub-rule(10) shall be omitted.

11. In the principal rules, in the SCHEDULE-I, column 4 and the entries relating thereto shall be omitted.

12. In the principal rules, for the SCHEDULE-IIA, the following SCHEDULE shall be substituted, namely: -

"SCHEDULE-IIA

(See rule 5)

S. No.	Name of State/ Union territory	Ratio of Scheduled Caste apprentices to the total apprentices in designated trade	Ratio of Scheduled Tribe apprentices to the total apprentices in designated trade
1.	Andhra Pradesh	1:7	1:15
2.	Arunachal Pradesh	---	1:2
3.	Assam	1:15	1:9
4.	Bihar	1:7	1:100
5.	Chattisgarh	1:9	1:4
6.	Gujarat	1:15	1:7
7.	Goa	1:50	1:8
8.	Haryana	1:5	---
9.	Himachal Pradesh	1:4	1:25
10.	Jammu and Kashmir	1:12	1:9
11.	Jharkhand	1:9	1:4
12.	Karnataka	1:7	1:15
13.	Kerala	1:10	1:100
14.	Madhya Pradesh	1:7	1:5
15.	Maharashtra	1:10	1:11
16.	Manipur	1:33	1:3
17.	Mizoram	---	1:2
18.	Meghalaya	---	1:2
19.	Nagaland	---	1:2
20.	Odisha	1:7	1:4
21.	Punjab	1:4	---
22.	Rajasthan	1:6	1:8
23.	Sikkim	1:20	1:5
24.	Tamil Nadu	1:5	1:100
25.	Tripura	1:6	1:3
26.	Telangana	1:16	1:32
27.	Uttar Pradesh	1:5	1:100
28.	Uttrakhand	1:6	1:3
29.	West Bengal	1:5	1:20
30.	Andaman and Nicobar Islands	---	1:13
31.	Chandigarh	1:6	---

32.	Dadra and Nagar Haveli	1:50	1:2
33.	Delhi	1:6	1:13
34.	Daman and Diu	1:3	1:11
35.	Lakshadweep	---	1:2
36.	Puducherry	1:7	---".

13. In the principal rules, in SCHEDULE-III, for the FORMAT-1 and FORMAT-2, the following Formats shall be substituted, namely:-

"Schedule–III

(See rule 14)

FORMAT-1

Model Contract of Apprenticeship Training for Major/Minor* Apprentices

Photograph of Apprentice

1. Name and address of establishment : ______________________
   with Tel. no., Fax No. and E-mail address ______________________
   ____

2. (a) Name of apprentice (Block Letters) : ______________________

   (b) Father's/Mother's /Husband's Name : ______________________

3. Address of apprentice : ______________________
   ____

4. Gender (please √) : Male/Female/Transgender

5. Date of birth : ____________________

6a) Whether belongs to SC/ST/OBC/PwD/Minority : Yes/No
   (please √)

b) Name of the category : ______________________

7. Educational Qualification
   (a) Academic Qualification : ______________________

(b) Technical qualification :

(v) Name of the Trade or Course : ____________________

(vi) Duration of Training or Course : From ______ To _______

(vii) Name of the Institute or College : ____________________

(viii) Name of the Council or University : ____________________

8. (a) Date of execution of contract : ____________________

(b) Age on the date of execution of contract : ____________________

9. Name of the trade for which apprentice is for apprenticeship training : ____________________

10. (a) Duration of apprenticeship training : ____ years _____months

(b) Period of apprenticeship training : From _____ To _______

11. Rates of Stipend: The minimum prescribed stipend per month to be paid by the employer to apprentice

(a) During 1st year of training : Rs. __________________

(b) During 2nd year of training : Rs. __________________

(c) During 3rd and 4th year of training : Rs. __________________

12. (a) Name and address of Guardian (in case of apprentice is minor) : ____________________

(b) Relationship with the apprentice : ____________________

13. Name and Address of the Surety : ____________________

____

15. We, the Employer, Apprentice or Guardian** and the Surety solemnly declare that we have read the Apprentices Act, 1961 and the Apprenticeship Rules, 1992 regarding the contract of apprenticeship training including obligations and agree to abide by all the provisions made thereunder. In case of default by the either the apprentice or the employer, we agree to compensate the other party as per the provisions of the Apprenticeship Rules, 1992 (Main Provisions of the Rules may be seen in the Enclosure).

____________	____________	________________	____________
Signature of the Employer with seal	Signature of Apprentice	Signature of Guardian**	Signature of Surety

15. Name of Witnesses with their Address

(1) ______________________________

(2) ______________________________

***16. Contract Registration Number : ____________________

(To be given by the Office of the Apprenticeship Adviser)

* Minor apprentice is an apprentice who has not completed eighteen years of age.

** Guardian, in case of minor apprentices

*** Mandatory only for designated trades

Enclosure to Contract of Apprenticeship Training

The main provisions of the Apprenticeship Rules relating to the Contract of Apprenticeship Training are -

1. The employer shall pay stipend per month to the trade apprentices at the minimum rates (as per the provision of sub-rule(1) of rule 11 of the Apprenticeship Rules, 1992)

(a)	During 1st year of training	**:**	Seventy per cent. of minimum wage of semi-skilled workers notified by the respective State or Union territory
(b)	During 2nd year of training	**:**	Eighty per cent. of minimum wage of semi-skilled workers notified by the respective State or Union territory
(c)	During 3rd and 4th year of training	**:**	Ninety per cent. of minimum wage of semi-skilled workers notified by the respective State or Union territory:

Provided that in the case where the minimum rate of wage for a trade is not notified by the State Government or Union territory, then, the maximum of minimum wages of the Scheduled Employment notified by such State Government or Union territory for semi-skilled workers shall be taken into account for paying the stipend in respect of that trade:

Provided further that in the case of trade apprentices referred to in clause (a) of section 6 of the Act, the period of training already undergone by them in a school or other institution recognised by the National Council, shall be taken into account for the purpose of determining the rate of stipend payable".

2. The employer shall pay stipend per month to the Graduate, Technician and Technician (Vocational) apprentices at the minimum rates (as per the provisions of sub-rule (2) of rule 11 of the Apprenticeship Rules, 1992)

(a)	Graduate Apprentices	:	Rs. 4984
(b)	Sandwich Course (Students from Degree Institutions)	:	Rs. 3542
(c)	Technician Apprentices	:	Rs. 3542
(d)	Sandwich course (Students from Diploma Institutions)	:	Rs. 2890
(e)	Technician (Vocational) Apprentices	:	Rs. 2758

3. The stipend prescribed for graduate apprentices shall be paid by the employer to those apprentices who possess a degree of minimum three years duration after 10+2 system of education and undergoing apprenticeship training in optional trade.

4. The stipend prescribed for technician apprentices shall be paid by the employer to those apprentices who possess a diploma of three years after 10th class or diploma of two years after 12th pass and undergoing apprenticeship training in optional trade.

5. The stipend prescribed for technician (vocational) apprentices shall be paid by the employer to those apprentices who possess a certificate in vocational course involving two years of study after completion of secondary stage of school education and undergoing apprenticeship training in optional trade.

6. The stipend prescribed for trade apprentices shall be paid by the employer to all other apprentices undergoing apprenticeship training in optional trade according to their period of apprenticeship training.

7. The stipend for a particular month shall be paid by the tenth day of the following month. No deduction shall be made from the stipend for the period during which an apprentice remain on leave as observed in the establishment.

8. Where the Contract of Apprenticeship is terminated through failure on the part of the employer in carrying out the terms and conditions of the Contract (as notified under the Apprenticeship Rules, 1992), he shall pay to the apprentice such compensation as may be provided by the Central Government.

9. In the event of premature termination of Contract of Apprenticeship for failure on the part of apprentice to carry out the terms and condition of the contract (as notified under the Apprenticeship Rules, 1992), the surety at the request of apprentice hereby guarantees to employer the payment of such amount as determined by the Apprenticeship Adviser as and towards the cost of training.

10. The liability of the surety is limited to an amount of two thousand five hundred rupees with interest at twelve per cent. per annum.

FORMAT- 2

Proforma of Work Diary

Name and Address of Establishment :

Name of Apprentice :

Trade :

Registration Number :

Serial Number	Date (Week)		Competencies covered during the week	Signature of Supervisor
	From	To		

Note: The list of competencies to be indicated as laid down in the course of trade.

The work diary shall be maintained by the Apprentice and countersigned by his supervisor once a week.".

14. In the principal rules, in SCHEDULE-V, –

(i) under paragraph I, relating to "Obligations of Employer", items 2b, 3 and 7 and the entries relating thereto shall be omitted.

(ii) under paragraph II, relating to "Obligations of Trade Apprentices", for item 10 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

"10. It shall not be obligatory on the part of the employer to offer any employment to the apprentice on completion of period of his apprenticeship training in his establishment nor shall it be obligatory on the part of the apprentice to accept an employment under the employer:

Provided that if there is any recruitment, employer shall formulate its own policy for recruiting any apprentice who has completed the period of apprenticeship training in his establishment in terms of sub-section(1) of section 22 of the Act";

15. In the principal rules, in SCHEDULE-VI, –

(a) for item 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"2. It shall not be obligatory on the part of the employer to offer any employment to the apprentice on completion of period of his apprenticeship training in his establishment nor shall it be obligatory on the part of the apprentice to accept an employment under the employer:

Provided that if there is any recruitment, employer shall formulate its own policy for recruiting any apprentice who has completed the period of apprenticeship training in his establishment in terms of sub-section(1) of section (22) of the Act";

(b) for item 6(i) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"6(i) A Graduate, Technician and Technician (Vocational) Apprentice shall work according to the normal hours of work of the department in the establishment to which he or she is attached for training.".

[No. MSD&E-1(2)/2015-AP]

RAJESH AGRAWAL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, sub-section (i), dated the 1st August, 1992 vide notification number G.S.R. 356, dated the 15th July, 1992 and last amended vide notification number G.S.R. 910(E), dated the 23rd December, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.